राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13615/2023

निखिल चौधरी पुत्र श्री विजय सिंह, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी 1/304, हाउसिंग बोर्ड, इंडियन स्कूल के पास, झुंझुनू, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ , सचिव, रक्षा मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।
2. संयुक्त सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, कमरा नंबर 237, बी-विंग, सेना भवन , नई दिल्ली-110001.
3. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जनपथ, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. अध्यक्ष, नीट यूजी मेडिकल और डेंटल एडमिशन / काउंसलिंग बोर्ड 2022 और प्रिंसिपल और कंट्रोलर, चेयरमैन का कार्यालय नीट (यूजी) मेडिकल और डेंटल एडमिशन, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज (आरयूएचएस) कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज), सुभाष नगर टीबी अस्पताल के पीछे, जयपुर, राजस्थान।
5. वरिष्ठ निदेशक, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) 2022 उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सी-20, आईए /8, सेक्टर 62, आईआईटीके आउटरीच सेंटर, नोएडा-201309।
6. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक IV , विंग-VII, आरके पुरम, नई दिल्ली-66 अपने सचिव के माध्यम से
7. ज़िला सैनिक कल्याण बोर्ड, झुंझुनू अपने जिला के माध्यम से सैनिक कल्याण अधिकारी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड झुंझुनू।
8. राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, जयपुर अपने राज्य के माध्यम से सैनिक कल्याण अधिकारी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, बनीपारक , जयपुर।
9. सचिन कुमार पुत्र झाबर मल, शासकीय. मेडिकल कॉलेज, पाली ।
10. अंकित जांगिड़ पुत्र श्री विनोद कुमार, एसिक मेडियल कॉलेज, अलवर ।
11. कुमारी तनु पुत्री श्री अरविंद सिंह, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर।
12. दीपक सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह गुर्जर , सरकार। मेडियल कॉलेज, भरतपुर ।
13. कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र स्व. भगवान सहाय शर्मा, शासकीय मेडियल कॉलेज, अलवर ।
14. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. अशोक कुमार, सरकार। मेडियल कॉलेज, चूरू ।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

15. दीपक यादव पुत्र स्व. सुभाष चंद, शासकीय मेडियल कॉलेज, बाड़मेर .

16. सोनू कुमारी पुत्री श्री सुभाष चंद, राजकीय मेडिकल कॉलेज, चित्तौड़गढ़ ।

17. ज्योति कुमारी पुत्री स्व. सुरेंद्र कुमार, सरकार। मेडिकल कॉलेज, दौसा ।

18. निर्मला पुत्री श्री लालाराम शेषमा , राजकीय मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर । प्रतिवादी संख्या 9 से 18 को उनके संबंधित प्रधानाचार्यों के माध्यम से भेजा जाए क्योंकि उनके पते का विवरण उपलब्ध नहीं है।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री एम.एस. सहारन
प्रतिवादी (ओं) के लिए	:	श्री विज्ञान शाह, एएजी, श्री यश जोशी के साथ, सुश्री मंजीत कौर

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

प्रकाशनीय

आरक्षित तिथि : **18/07/2024**

उच्चारण तिथि : **30/08/2024**

1. यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

> "क) प्रतिवादी संख्या *6* द्वारा जारी एसओपी *(अनुलग्नक-8)* का संचालन, जो प्रतिवादी संख्या *1* और *2* द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, को अलग रखा जा सकता है और रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में रक्षा कार्मिकों के बच्चों *(डब्ल्यूडीपी)* के कल्याण के लिए मूल आधार का उल्लंघन करता है; या वैकल्पिक रूप से "या उत्तेजित " शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए।
>
> ख) दिनांक *27/07/2023, 31/07/2023* की अनंतिम सूची और दिनांक *03/08/2023* की अंतिम आवंटन सूची को अलग रखा जाए और संलग्न अनुलग्नक-*8* द्वारा बनाई गई विसंगति को दूर करने के बाद नई सूची नए सिरे से तैयार की जाए।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

ग) जिन प्रतिवादियों ने नियम, विनियमन और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए डब्ल्यूडीपी श्रेणी के तहत मेडिकल कॉलेज सीटों पर प्रवेश लिया है, उनका प्रवेश रद्द किया जाए और सीट याचिकाकर्ता को आवंटित की जाए।

(घ) प्रतिवादियों को रक्षा कार्मिक पहचान संख्या को उसकी मौलिकता में या कोडित तरीके से उल्लेख करने का निर्देश दिया जाए ताकि ऐसे कल्याणकारी उपायों के दुरुपयोग से बचा जा सके और संबंधित प्राधिकारी से विशिष्ट स्पष्टीकरण लिया जाए कि उम्मीदवारों का नाम अंतिम सूची में कैसे आया, जबकि उनका नाम उसी प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित अनंतिम सूची में नहीं था।

ङ) कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है।

च) कृपया रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए।

2. तत्काल मामले का तथ्यात्मक वर्णन यह है कि याचिकाकर्ता ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी विषयों के साथ अपनी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसके बाद, एन.ई.ई.टी.-2021 परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे आवंटित किया गया भरतपुर मेडिकल कॉलेज। हालाँकि, विवादित मानक संचालन प्रक्रिया (जिसे आगे एसओपी कहा जाएगा) (अनुलग्नक-8) के आधार पर फेरबदल के कारण , याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2022 में एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या **6259/2022** के तहत निखिल चौधरी बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक से एक याचिका दायर की । दिनांक 10.04.2023 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने डीबीएसएडब्ल्यू संख्या **457/2023** के रूप में निखिल चौधरी बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक से एक विशेष अपील दायर की, जिसे दिनांक 30.05.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने बड़े उत्साह के साथ एन.ई.ई.टी. 2022 परीक्षा दी। फिर भी, याचिकाकर्ता 'रक्षा कर्मियों के आश्रित' (जिसे आगे डब्ल्यूडीपी कहा जाएगा) श्रेणी के अंतर्गत सीट हासिल करने में असफल रहा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने उक्त लाभ का दो बार

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

गलत दावा किया था, जो अपने आप में गैरकानूनी है। याचिकाकर्ता ने पुनः एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या **16783/2022** के रूप में पंजीकृत एक याचिका दायर की, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने खारिज कर दिया ।

4. इस याचिका के परिणामस्वरूप वाद का कारण तब उत्पन्न हुआ जब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-2023 (जिसे आगे NEET-2023 कहा जाएगा) के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसमें स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। याचिकाकर्ता ने ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने उक्त श्रेणी के अंतर्गत अपना फॉर्म भरा था क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता 28.04.1998 से भारतीय सेना में सेवारत हैं और उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए वीरता पुरस्कार मिला था।

5. उक्त एन.ई.ई.टी 2023 परीक्षा का परिणाम 13.06.2023 को घोषित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने कुल 720 अंकों में से 315 अंक प्राप्त किए और AIR 385000 तथा श्रेणी रैंक 170805 प्राप्त की (अनुलग्नक-3)। बड़ी उम्मीदों और इस विश्वास के साथ कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को WOP उम्मीदवारों के लिए 1% आरक्षित सीटों के अंतर्गत विचार किया जाना चाहिए , याचिकाकर्ता ने 29.07.2023 को निर्धारित काउंसलिंग में उपस्थित होने की तैयारी की।

6. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, राजस्थान सरकार द्वारा NEET UG प्रवेश एवं परामर्श, 2023 (अनुलग्नक-4) हेतु जारी सूचना पुस्तिका के आरक्षण नीति खंड (e) के अनुसार, श्रेणी/प्राथमिकता उदाहरण 5/प्राथमिकता V से संबंधित है। सुविधा के लिए, संबंधित प्रावधान नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"ई. उप-खण्ड (ए), (बी) की सीटों को छोड़कर 1% सीटें (सरकारी मेडिकल कॉलेजों / सरकारी सोसाइटी मेडिकल कॉलेजों (राजएमईएस) / आरयूएचएस सीएमएस / एक्सिक एमसी / आरयूएचएस सीडीएस में) राजस्थान मूल के रक्षा कार्मिकों (सेवारत / सेवानिवृत्त) के प्राकृतिक रूप से जन्मे (गोद लिए नहीं गए) पुत्रों / पुत्रियों और राजस्थान मूल के अर्धसैनिक कार्मिकों (सेवारत / सेवानिवृत्त) के लिए*

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

प्राथमिकता और योग्यता के आधार पर क्षैतिज रूप से आरक्षित हैं (अनुपात *3: 1* में, इन आरक्षित सीटों में से *50%* लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी, खाली सीटें लड़कों की श्रेणी में वापस कर दी जाएंगी।

केन्द्रीय के अनुसार सैनिक कल्याण बोर्ड के अनुसार, रक्षा सीट परिवार के केवल एक सदस्य के लिए, जीवनकाल में एक बार, स्वीकार्य है। नीचे दिए गए क्रमांक *1* से *9* तक के केवल थलसेना, वायुसेना और नौसेना के रक्षा कर्मियों के बच्चे ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या *6(1)/2017/*डी *(*निवास *II)* दिनांक *19.05.2017* और नवंबर *2017* और *21.05.2018* में इसके बाद के संशोधनों और केंद्रीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के एसओपी पत्र संख्या *370/* प्रवेश */*एमबीबीएस*/*बीडीएस*/*सी, दिनांक *01.07.2020* के अनुसार सैनिक कल्याण बोर्ड रक्षा मंत्रालय , भारत सरकार, राजस्थान मूल के रक्षा कार्मिकों के लिए प्राथमिकता क्रम *(*प्रमाण पत्र प्रोफार्मा *1)* निम्नानुसार होगा

1. युद्ध में शहीद हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाएँ/आश्रित ।

2. युद्ध के दौरान विकलांग हुए तथा सेवा से बाहर हुए व्यक्तियों के आश्रित।

3. रक्षा कार्मिकों की विधवाएं/आश्रित जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा के कारण सेवाकाल के दौरान हुई हो।

4. सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए तथा सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के आश्रित।

5. भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत कार्मिकों के आश्रित जो वीरता पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

6. भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे।

7. (1) युद्ध में शहीद हुए और सेवा से बाहर किए गए रक्षा कार्मिकों की पत्नियां। *(ii)* सेवा में विकलांग हुए और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता से बाहर किए गए रक्षा कार्मिक *(iii)* भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कार्मिक जो वीरता पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

8. सेवारत कार्मिकों के बच्चे।

9. सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या *F25/SKV/2022/13423-30* दिनांक *13.10.2022* के अनुसार कल्याण राजस्थान सरकार के विभाग के अनुसार , अर्धसैनिक बल की सीट जीवन में केवल एक बार परिवार के एक सदस्य के लिए ही स्वीकार्य है। गृह मंत्रालय *(*एमएचए*)* के अनुसार, नीचे दिए गए क्रमांक *1* से *3* तक के अर्धसैनिक कर्मियों के केवल बच्चे ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

मूल के अर्धसैनिक कार्मिकों के लिए प्राथमिकता क्रम *(*प्रमाण पत्र प्रपत्र *2)* निम्नानुसार होगा*:*

1. कार्रवाई में शहीद हुए अर्धसैनिक कर्मियों के आश्रित/विधवाएं/पत्नियां।

2. उन अर्धसैनिक कर्मियों के आश्रित/विधवाएं/पत्नियां जो कार्रवाई के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं और सेवा से बाहर कर दिए गए हैं।

3. सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वार्ड।

7. हालाँकि, याचिकाकर्ता का नाम दिनांक 03.08.2023 की अंतिम आवंटन सूची में शामिल नहीं था। आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को यह आशंका थी कि सूचना पुस्तिका की 'श्रेणी V' के अंतर्गत उसकी उम्मीदवारी पर गलत व्याख्या के कारण विचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, विवादित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के लागू होने के कारण कई अन्य उम्मीदवारों को श्रेणी IV में विचार किया जाना था, जिससे वे संबंधित नहीं हैं। परिणामस्वरूप, विवादित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के लागू होने के कारण, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी उक्त श्रेणी अर्थात प्राथमिकता V के अंतर्गत खारिज कर दी गई। दिनांक 01.07.2020 की एस.ओ.पी. का प्रासंगिक अंश, जिसके कारण इस मामले में विवाद उत्पन्न हुआ, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

"प्राथमिकता-IV सेवा में विकलांग और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण बोर्ड से बाहर किए गए बच्चों के बच्चे। पात्र

(i)

(ii)

(एए)

(एबी) 13 3 III (v) - केवल एलएमसी आधार पर जो सैन्य सेवा के कारण या उससे बढ़ी हुई है।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

8. तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद याचिकाकर्ता ने निष्कर्ष निकाला कि उक्त अस्पष्टता प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जारी एसओपी दिनांक 01.07.2020 (अनुलग्नक-8) द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा, उक्त एसओपी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा जारी किए गए तय प्रावधानों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। इसके साथ ही, विवाद का मुद्दा यह था कि पूर्वोक्त भाग में 'या बढ़े हुए' शब्दों को शामिल करने से उक्त आरक्षण के संबंध में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर भयावह प्रभाव पड़ता है।

9. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि क्योंकि प्रतिवादियों ने अपेक्षित दिशा-निर्देशों/दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया और प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा विवादित एसओपी (अनुलग्नक-8) जारी करने के तरीके से उत्पन्न विसंगति और अस्पष्टता के कारण, जो प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ओवरलैप और दरकिनार करती है, याचिकाकर्ता को बिना किसी वैध कारण के बाहर कर दिया गया था।

10. इस संबंध में, विद्वान वकील ने **[2019] 4** एससीटी **659** में सचिव**,** भारत सरकार और अन्य बनाम धर्मबीर सिंह शीर्षक से दिए गए अनुपात पर भरोसा जताया है ।

11. प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों का कड़ा विरोध किया था और प्रस्तुत किया था कि दिनांक 01.07.2020 का एसओपी प्रतिवादी संख्या 6 अर्थात केन्द्रीय द्वारा तैयार किया गया है। सैनिक बोर्ड, दिनांक 19.05.2017 के पत्र और उसके बाद दिनांक 21.05.2018 के संशोधन में उल्लिखित प्रत्येक प्राथमिकता को बढ़ाने के उद्देश्य से।

12. इस समय, विद्वान वकील ने केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली का हवाला दिया था, जिसके अनुच्छेद 6.1 और 6.2 में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और क्रमशः संबद्ध एवं अधीनस्थ अधिकारियों का स्पष्ट प्रावधान है। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 6 भूतपूर्व सैनिक विभाग के कार्यालय से निकटस्थ रूप से संबद्ध है। अतः, केंद्रीय सैनिक बोर्ड प्रतिवादी संख्या 6, भूतपूर्व सैनिक विभाग द्वारा लागू नीतियों के कार्यान्वयन में आवश्यक विस्तृत कार्यकारी निर्देश प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

13. अतः, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने दिनांक 21.05.2018 के पत्र द्वारा सैन्य कर्मियों के विभिन्न बच्चों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन हेतु एक विस्तृत निर्देश/एसओपी जारी किया था। अतः, उक्त एसओपी में कोई भी अनियमितता या विसंगति नहीं है। उक्त एसओपी का प्रासंगिक अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

> "1. यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों से अनुरोध किया गया था कि वे सशस्त्र बलों के कर्मियों और ईएसएम की विधवाओं/पत्नियों/बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान करें ताकि आरक्षित सीटों को रक्षा श्रेणी के तहत सीटों के आरक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार सख्ती से भरा जा सके । आमतौर पर यह महसूस किया गया था कि केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं कर रहे थे और प्राथमिकताओं के अनुसार सीटें भी नहीं भर रहे थे। यह भी देखा गया है कि जेडएसबी/आरएसबी/रिकॉर्ड कार्यालयों के कार्यालय भी रक्षा कर्मियों के बच्चों को प्राथमिकता/शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र जारी करते समय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।
>
> 2. आरओ/जेडएसबी/आरएसबी के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में रक्षा कर्मियों के बच्चों को प्राथमिकता/शैक्षणिक रियायत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दस्तावेज़ीकरण में आसान पारदर्शिता के लिए केएसबी सचिवालय द्वारा इस विषय पर एक एसओपी तैयार की गई है और इसे आपके स्तर पर सख्ती से कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित किया जा रहा है।

14. आशुतोष गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य शीर्षक से **2002 (2)** एससीसी **56**1 में उल्लिखित अनुपात पर भरोसा किया है और यह तर्क दिया है कि इस क़ानून और उसके उद्देश्य में अंतर्निहित नीति का पता लगाना एक अनिवार्य प्रावधान है, ताकि उस पर हमला किया जा सके और उसे मनमाना और भेदभावपूर्ण माना जा सके। इसके साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में आने वाले किसी भी दस्तावेज़ की व्याख्या, उसके अधोहस्ताक्षरी प्राधिकारी/लेखक, अर्थात् प्रतिवादियों द्वारा, संबंधित मामले में की जाएगी ।

15. सुना और विचार किया गया।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

16. अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस समय निम्नलिखित असंदिग्ध तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:

16.1. याचिकाकर्ता ने अपने नवीनतम प्रयास से पहले NEET-2021 और NEET-2022 परीक्षा में भी भाग लिया था। हालाँकि, उक्त प्रयास उसके लिए निष्फल रहे, और इससे व्यथित होकर दो पूर्व याचिकाएँ दायर की गईं । फिर भी, योग्यता के अभाव में, उन्हें खारिज कर दिया गया ।

16.1. याचिकाकर्ता के पिता 28.04.1998 से भारतीय सेना में सेवारत हैं और वीरता पुरस्कार विजेता हैं।

16.2. याचिकाकर्ता स्वयं को NEET-UG प्रवेश एवं काउंसलिंग, 2023 (अनुलग्नक-4) के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी सूचना पुस्तिका के आरक्षण नीति खंड (ई) के अनुसार श्रेणी/प्राथमिकता Exs 5/प्राथमिकता V के अंतर्गत पात्र मानता है।

17. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए ; दिनांक 01.07.2020 के एसओपी और दिनांक 21.05.2018 के पत्र के तहत उल्लिखित प्रावधानों और रिकॉर्ड पर रखे गए अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय नीचे दिए गए कारणों से तत्काल याचिका को खारिज करना उचित समझता है:

17.1 <u>यह कि उक्त एसओपी का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य दिनांक 19.05.2017 के पत्र और नवंबर, 2017 और 21.05.2018 (परिशिष्ट 'ए')</u> में इसके बाद के संशोधन में उल्लिखित प्रत्येक प्राथमिकता को विस्तार से बताना है, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न सेना के आदेशों, निर्देशों और पत्रों के प्रकाश में, सशस्त्र बलों में सेवा / सेवानिवृत्ति / अधिकृत / पेंशन की शर्तों को निर्धारित करना।

17.2. <u>रक्षा मंत्री के अनुमोदन से मंत्री महोदय, इसमें दिए गए निर्देश दिनांक 19.05.2017 और 30.11.2017 के पूर्ववर्ती पत्रों का स्थान लेंगे।</u>

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

17.3 आशुतोष गुप्ता **(**सुप्रा**)** में समाहित अनुपात स्पष्ट रूप से कहता है कि जब कानून को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है, तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि कानून के अंतर्निहित नीति और इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का पता लगाया जाए। नीति और उद्देश्य का पता लगाने के बाद ही न्यायालय को वैधता की जांच में दोहरा परीक्षण करना होगा; परीक्षण यह है कि क्या वर्गीकरण तर्कसंगत है और एक समझदार अंतर पर आधारित है जो उन व्यक्तियों को अलग करता है जिन्हें एक साथ समूहीकृत किया जाना है और क्या भेदभाव के आधार का इसकी घोषित नीति और उद्देश्यों के साथ कोई तर्कसंगत संबंध या संबंध है। उपर्युक्त पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस राय का है कि हाथ में लिए गए मामले में, विवादित एसओपी किसी भी अनियमितता से मुक्त है और याचिकाकर्ता के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उम्मीदवारों के चयन हेतु जिन मानदंडों पर विचार किया जाएगा, उन्हें दिनांक 01.07.2020 की एसओपी में सावधानीपूर्वक उल्लिखित किया गया है, जिसे दिनांक 21.05.2018 के पत्र के साथ सुसंगत रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उपर्युक्त अनुपात से संबंधित अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *6.* विधि के समक्ष समता की अवधारणा में सभी के बीच पूर्ण समानता का विचार शामिल नहीं है, जो भौतिक रूप से असंभव हो सकता है। बस इतना ही। अनुच्छेद *14* व्यवहार की समानता की गारंटी देता है, न कि समरूप व्यवहार की। समान कानूनों के संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि सभी कानून एक समान होने चाहिए। विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से लागू होना चाहिए तथा समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। विधि के समक्ष समता का अर्थ यह नहीं है कि जो चीजें भिन्न हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा मानो वे एक ही हों। यह सही है कि अनुच्छेद *14* यह आदेश देता है कि समान स्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए**,** लेकिन कितनी असमानता लोगों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करेगी**,** यह एक जटिल प्रश्न है। एक विधायिका**,** जिसे मानवीय संबंधों की अनंत विविधता से उत्पन्न विविध समस्याओं से निपटना होता है**,** के पास विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए**;** और इस उद्देश्य के लिए उसके पास उन व्यक्तियों और वस्तुओं के चयन या वर्गीकरण की व्यापक शक्तियाँ होनी चाहिए जिन पर ऐसे कानून लागू होने हैं। केवल भेदभाव या

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

व्यवहार की असमानता 'प्रति' नहीं है। 'से' समान संरक्षण खंड के निषेध के अंतर्गत भेदभाव के बराबर है। राज्य को हमेशा उस विशेष विषय से संबंधित तर्कसंगत भेदों के आधार पर वर्गीकरण करने का अधिकार है जिस पर विचार किया जाना है । अनुमेय वर्गीकरण की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात्: ***(i)*** वर्गीकरण एक सुबोध विभेद पर आधारित होना चाहिए जो एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या वस्तुओं को उन अन्य लोगों से अलग करता है जिन्हें समूह से बाहर रखा गया है, और ***(ii)*** उस विभेद का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। आवश्यक यह है कि वर्गीकरण के आधार और अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। जब किसी कानून को अनुच्छेद ***14*** के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है , तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि उस क़ानून में अंतर्निहित नीति और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का पता लगाया जाए। अधिनियम की नीति और उद्देश्य का पता लगाने के बाद, न्यायालय को वैधता की जाँच में एक दोहरा परीक्षण लागू करना होगा, परीक्षण यह है कि क्या वर्गीकरण तर्कसंगत है और एक सुबोध विभेद पर आधारित है जो एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या वस्तुओं को उन अन्य लोगों से अलग करता है जो समूह से बाहर रखे गए हैं, और क्या विभेदीकरण के आधार का उसकी घोषित नीति और उद्देश्यों से कोई तर्कसंगत संबंध या सम्बन्ध है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी कानून को रद्द करने के लिए, असमानता उसी विधान के अंतर्गत या उन्हीं कानूनों के समूह के अंतर्गत उत्पन्न होनी चाहिए जिन्हें एक अधिनियम के रूप में एक साथ माना जाना चाहिए। एक ही विषय के संबंध में दो अलग-अलग प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए दो अलग-अलग अधिनियमों से उत्पन्न असमानता पर अनुच्छेद ***14*** के अंतर्गत कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सर्वविदित है कि अनुच्छेद ***14*** के अनुसार विधायी वर्गीकरण वैज्ञानिक या तार्किक रूप से पूर्ण होना आवश्यक नहीं है। यदि हम उपरोक्त दृष्टिकोण से आपातकालीन भर्ती नियमों के विवादित प्रावधानों की जाँच करें , तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि उपरोक्त नियम प्रशासनिक सेवा में एक विशिष्ट भर्ती के लिए बनाए गए हैं। वरिष्ठता से संबंधित धारा *25* का प्रावधान विशेष रूप से उन सभी परिस्थितियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपातकालीन भर्ती नियमों के तहत राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भर्ती किया जा सकता है। यह माना जाना चाहिए कि कानून बनाने वाले प्राधिकारी ने नियम बनाते समय पक्ष-विपक्ष की जाँच की होगी। संवर्ग में वरिष्ठता के लिए उपरोक्त प्रावधान जो समतुल्य है भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए समान प्रावधान हैं और इसलिए, हमारे लिए यह मानना कठिन है कि उपरोक्त प्रावधान प्रकृति में भेदभावपूर्ण है।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

17.4 प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर 31.07.2023 की अनंतिम डब्ल्यूडीपी मेरिट सूची (क्रमांक 33 पर) के अंतर्गत EXS-5/प्राथमिकता-V श्रेणी के अंतर्गत पहले ही विचार किया जा चुका है। तथापि, मेरिट प्राप्तांकों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है (अनुलग्नक- R/1)।

18. उपर्युक्त के सारांश में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त एसओपी के उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अर्थात दिनांक 19.05.2017 के पत्र में उल्लिखित प्रत्येक प्राथमिकता को बढ़ाना; दिनांक 21.05.2018 का पत्र जिसके द्वारा माननीय रक्षा मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। मंत्री को विशेष रूप से आशुतोष गुप्ता **(**सुप्रा**)** मामले में उल्लिखित अनुपात को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर पहले ही विचार किया जा चुका है, तथापि, मेरिट के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई सीट आवंटित नहीं की गई है, यह न्यायालय इस याचिका को खारिज करना उचित समझता है।

18. तदनुसार, वर्तमान याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है । यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

(समीर जैन), जे

अनिल शर्मा /4

अस्वीकरण**:** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है**,** एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/210/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को शाम **04:30:08** बजे डाउनलोड किया गया**)**